



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 679 राँची, गुरुवार, 25 कार्तिक, 1945 (श०)
16 नवम्बर, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ।

आदेश

24 अगस्त, 2023

आदेश सं०-5/आरोप-1-100/2016 का०- 4824--श्री विजय कुमार, झा०प्र०से०, के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-3893/वि०, दिनांक- 26.07.2016 द्वारा आरोप प्रतिवेदित किया गया कि कार्मिक विभाग की अधिसूचना सं०-8240, दिनांक-11.09.2015 द्वारा श्री विजय कुमार, कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका की सेवा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी के पद पर पदस्थापन हेतु ग्रामीण विकास विभाग को सौंपी गयी तथा ग्रामीण विकास विभाग की अधिसूचना सं०-264, दिनांक- 19.01.2016 द्वारा इनको प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चिनिया, गढवा के पद पदस्थापित किया गया, किन्तु 05 माह से अधिक अवधि बीत जाने पर भी इन्होंने अधिसूचित प्रखण्ड में योगदान नहीं दिया ।

उक्त आरोपों के लिए विभागीय पत्रांक-7389, दिनांक- 26.08.2016 द्वारा श्री कुमार से स्पष्टीकरण की मांग की गयी। इसके अनुपालन में इनके पत्रांक-660, दिनांक 03.09.2016 द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया, जिसमें उल्लेख किया गया कि उक्त अधिसूचना की जानकारी किसी भी माध्यम से इन्हे प्राप्त नहीं हो सकी थी। साथ ही, इसकी प्रति उपायुक्त, दुमका के कार्यालय को भी प्राप्त नहीं हो सकी थी। ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक-2898, दिनांक 31.05.2016 द्वारा उक्त अधिसूचना की प्रति उपायुक्त, दुमका को इन्हें विरमित करने हेतु भेजा गया। श्रावणी मेला, 2016 में इनकी प्रतिनियुक्ति को देखते हुए उपायुक्त दुमका के पत्रांक-1243, दिनांक 13.07.2016 द्वारा अधिसूचित पद पर योगदान करने हेतु विरमित किया गया, जिसके आलोक में इन्होंने 14.07.2016 को कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका का प्रभार त्याग करते हुए दिनांक 15.07.2016 को प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चिनिया का प्रभार ग्रहण नहीं किया गया।

श्री कुमार के स्पष्टीकरण पर ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड के पत्रांक- 810, दिनांक 28.02.2018 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि श्री कुमार की सेवा ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड को सौंपे जाने तथा प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चिनिया, गढ़वा के पद पर पदस्थापन संबंधी अधिसूचना की प्रति उपायुक्त, दुमका को प्रेषित है। इसके बावजूद श्री कुमार ने दिनांक 15.07.2016 को अधिसूचित प्रखण्ड का प्रभार ग्रहण किया है।

श्री कुमार के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, इनका स्पष्टीकरण एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त मंतव्य की समीक्षा की गयी। समीक्षा में पाया गया कि उपायुक्त, दुमका के पत्रांक-1014/गो0, दिनांक 10.06.2016, जो ग्रामीण विकास विभाग को सम्बोधित है, में अंकित है कि उक्त अधिसूचना की प्रति उनके कार्यालय को प्राप्त नहीं है। उपायुक्त, दुमका के उक्त पत्र द्वारा ग्रामीण विकास विभाग से श्री कुमार को श्रावणी मेला 2016 के समाप्ति तक कार्यपालक दण्डाधिकारी, दुमका के रूप में बने रहने देने का अनुरोध है। साथ ही, उनके विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप में किसी प्रकार की राजस्व की क्षति नहीं है, बल्कि अधिसूचित पद पर 05 माह बाद योगदान करने से संबंधित है, जो सरकार के आदेश की अवहेलना है।

अतः समीक्षोपरांत, श्री विजय कुमार, झा०प्र०से०, तत्कालीन अधिसूचित प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, चिनिया, गढ़वा को इस प्रकार के मामले में भविष्य में सचेत रहने के चेतावनी के साथ संबंधित मामले को संचिकास्त किया जाता है।

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव।
